राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 14/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/113
दायर दिनांक– 13.6.2024
निर्णय दिनांक– 29.11.2024

उनवानी–

1. कन्हैया लाल पुत्र रामचन्द्र जाति बलाई नि0 ग्राम चूरली पोस्ट पाटन तह0 किशनगढ़

——प्रार्थी

बनाम

1. हरीश बाबू पुत्र धन्नालाल जाति बलाई नि0 सचिवालय विहार वार्ड न0 12 जयपुर

.....अप्रार्थी

2. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति बलाई नि0 ग्राम काकनियावास तह0 रूपनगढ़
3. शाखा प्रबन्धक विजया बैंक शाखा दहमीकलां जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

–प्रफोर्मा पक्षकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री कुश कुमार सिंह अधि0 प्रार्थी
2. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री सुरेश गोडेश्वर अप्रार्थी सं–2

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम काकनियावास पटवार हल्का बुहारू तह0 रूपनगढ़ में अवस्थित है जिसके ख0न0 383 रकबा 2.4270 है0 भूमि है। प्रार्थी की सहखातेदारी की उक्त खसरा नम्बर के खेत में आने जाने के लिए वर्तमान में किसी प्रकार का रास्ता विधमान नही है जिसके कारण से प्रार्थी को अपनी जोत पर पहुचने व कृषि कार्य करने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है एवं अपनी जोत की सार सम्भाल करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा भूमि को जोतने आदि के लिए कृषि उपकरण/कृषि पैदावार हेतु ट्रेक्टर, थ्रेसर, ट्रोली आदि लाने ले जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवयकता है। प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुचने के लिए सबसे निकटतम एवं एकमात्र रास्ता ख0न0 697/393 में से होकर मुख्य मार्ग ख0न0 393 तक पहुंच बनाने के लिए दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी की सहखातेदारी की जोत के निकटतम रास्ता जो ख0न0 697/392 में से होकर ही दिया जा सकता है जिसके लिये निकटतम रास्ता एंव 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान करने की माननीय न्यायालय से प्रार्थना है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी सहखातेदारी की आराजी होने व केवल मात्र प्रार्थी के द्वारा ही आवेदन किये जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बतौर अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 सह खातेदार होने के साथ ही ख0न0 397/392 का एकमात्र खातेदार होने व प्रार्थी को जोत तक पहुंच बनाने में अवरोध उत्पन्न करने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी के ख0न0 383 के लिये नया रास्ता 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब के कथन अनुसार ख0न0 383 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में तीन व्यक्तियों के नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमि का विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो रखा है। इसलिए प्रार्थी अपना विशिष्ट हिस्सा नहीं बता सकता है। प्रार्थी अकेला प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखता है। अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा ख0न0 383 की कृषि भूमि में दर्ज है उसकी कोई सहमति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर प्रकरण में जवाब मय रास्ता रिपोर्ट पेश की गयी। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा ख0न0 697/392 में से चाहा गया रास्ता ख0न0 383 पर पहुंचने हेतु सबसे निकटतम मार्ग है। प्रार्थी के सहखातेदारी खेत पर आने जाने हेतु राजस्व रिकार्ड एवं

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत नजरी नक्शा व रिपोर्ट अनुसार ग्राम काकनियावास के ख0न0 697/392 की पश्चिमी मेड़ के सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता की लम्बाई 224 फीट है जिसका रकबा 408 वर्गमीटर यानि 0.0408 है0 है। उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 1,19,160/—रू प्रति हैक्टर अनुसार भूमि की कीमत 4862/—रू बनती है जिसकी दुगुनी राशि 9724/—रू बनती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तहसीलदार रूपनगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ख0न0 697/392 में से रास्ता दिये जाने पर दूरी न्यूनतम बनती है। तदनुसार प्राथी की खातेदारी भूमि ग्राम काकनियावास के ख0न0 383 तक आवागमन हेतु ख0न0 697/392 में से प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम व लघुत्तम है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांकित 07.08.2024 में अंकित व संलग्न नजरी नक्शे अनुसार ख0न0 697/392 की पश्चिमी दिशा के सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता की लम्बाई 224 फीट है जिसका रकबा 408 वर्गमीटर यानि 0.0408 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त गैर मुमकिन रास्ते का पृथक से खसरा नम्बर कायम कर राजस्व नक्शे में अंकन किया जावें। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रार्थी को खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु ख0न0 697/392 में से रास्ता दिये जाने पर रास्ता भूमि का रकबा 0.0408 है0 बनता है। प्रस्तावित रास्ता ख0न0 697/392 प्रयुक्त होने पर उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर अनुसार रकबा 0.0408 है0 की राशि 4862/—रू रूपये बनती है। जिसकी दुगुनी राशि 9724/—रू अक्षरे नौ हजार सात सौ चोबीस रूपये बनती है। खसरा नम्बर 697/392 में से रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाला रकबा, खातेदार एवं रकम का विवरण निम्नानुसार है—

क0स0	ख0न0	खातेदार	रकबा (है0)	दुगुनी राशि
01	697/392	हरीशबाबू पुत्र धन्नालाल	0.0408	9724

प्रार्थी द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को न्यायालय आदेश अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

महिमा कसाना
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)